न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन सं0–401 / 2026

अरूण राय बनाम् बिहार सरकार

गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–14 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 191(2), 190, 109, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

07.04.2026 गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–14 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 191(2), 190, 109, 352, 351(2), 3(5) में अभिरक्षाधीन आवेदक **अरूण राय उम्र–37 वर्ष पेसर–भरत राय** साकिन–तेरसिया, थाना–गंगा ब्रिज, जिला–वैशाली जो दिनांक–11.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री जय प्रकाश कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–16.01.2023 को समय करीब 09.30 बजे सुबह में सूचिका अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तभी एकाएक सोनू कुमार, भरत राय, कौशल्या देवी, नरेश राय, अरूण राय, जीतन राय, संजीत राय, रंजू देवी, मुल्की देवी, मनीषा देवी एवं सुधा देवी एक राय व विचार कर हरवे–हथियार से लैश होकर सूचिका के पास आये और गाली देते हुए बोलने लगे कि वह अपनी पुत्री रिंकी कुमारी की शादी सोनू कुमार से करवा दे नहीं तो बहुत बुरा होगा। सोनू के पिता धमकी देने लगे कि यदि वह अपनी पुत्री की शादी उसके पुत्र सोनू से नहीं करायी तो उसे जान से मार देगे। उक्त बात का विरोध करने पर सभी अभियुक्तगण लाठी–डंडा व लोहे के रड से मारपीट कर सूचिका को जख्मी कर दिये। सूचिका जान बचाने के लिए वहां से भागने का प्रयास की तो नरेश राय अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने की नियत से उसके सर पर मारकर उसका सर फाड़ दिया। अरूण राय अपने हाथ में लिये लाठी से जान मारने की नियत से मारा जो बचने के क्रम में उसके बाएं हाथ के केहुनी के पास लगा और फूट गया। हल्ला की आवाज सुनकर सूचिका का पति नागेन्द्र राय एवं पुत्र मिथलेश कुमार आये तो उनलोगों को घेरकर सभी अभियुक्तगण मारपीट किये। सूचिका के गले से सोने का चैन मुल्की देवी खींच ली। हल्ला की आवाज सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित होने लगे तो सभी अभियुक्तगण यह धमकी देते हुए भाग गए कि यदि केस करोगे तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगे।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–11.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष हैं तथा उसे इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य, बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदक के विरूद्व गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–36 / 15 अंतर्गत धारा–307, 341, 323, 324, 448, 504 / 34 भारतीय दण्ड

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–401/2026

अरूण राय बनाम् बिहार सरकार

लगातार

07.04.2026

संहिता लंबित है जिसमें वह जमानत पर है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–15/2026 का पलटा मुकदमा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले के सह अभियुक्तगण संजीत राय उर्फ संजय राय, रंजू देवी, मुल्की देवी उर्फ मुन्की देवी, कौशल्या देवी एवं जितन राय को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0–419/2026 में पारित आदेश दिनांक–11.03.2026 से अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और आवेदक का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्तों के मामले से अच्छे धरातल पर है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जामनत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी की कंडिका 01 से 49 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गाली–गलौज करने, सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी की शादी सोनू कुमार से करवाने, लाठी–डंडा व लोहे के रड से मारपीट कर सूचिका को जख्मी करने एवं लोहे के रड से जान मारने की नियत से सूचिका के सर पर मारकर उसका सर फाड़ देने एवं लाठी से मारकर सूचिका के बाएं हाथ के केहुनी के पास फोड़ देने, सूचिका के पति नागेन्द्र राय एवं पुत्र मिथलेश कुमार को घेरकर मारपीट करने एवं सूचिका के गले से सोने का चैन खींच लेने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचिका के गले से सोने का चैन खींच लेने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 06 में सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी का बयान अंकित है जिसमें उसने कही है कि एक–दो महीना पहले जब वह स्कूल जाती थी तो बगल के सोनू कुमार उसके साथ छोड़खानी करता था और इसका फोटो इंस्ट्राग्राम पर छोड़ दिया तो उसके घर बोलने गई तो वे लोग उसे डॉट कर भगा दिया। उसके बाद दिनांक–16.01.2026 को वह बच्चा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोनू जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर खिंचने लगा। कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08, 09 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों ने भी सोनू कुमार द्वारा सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी के साथ छेड़खानी करने एवं दिनांक–16.01.2026 को सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी का हाथ पकड़ लेने की बात का समर्थन स्पष्ट रूप से किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 40 से विदित होता है कि तीन लोगों को जख्म कारित

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–401/2026

अरूण राय बनाम् बिहार सरकार

लगातार

07.04.2026

हुई है जिसमें जख्मी बसंती देवी (सूचिका) को चिकित्सक द्वारा निम्नलिखित जख्म पाया गया है :–

1. (2 X 1 X 0.5) सेमी बाईं भौं के उपर चीरा धाव,

2. (4 X 1 X 0.50) सेमी बाएं कोहनी पर चोट का निशान,

3. दाहिने घुटने के उपर (3 X 1) सेमी का सतही चीरा धाव एवं

4. (3 X 1) सेमी का फटा हुआ घाव सर के सामने कान के पास वाली जगह पर पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर, कुंद एवं तेज धार वाले औजार से कारित जख्म तथा जख्मी मिथलेश कुमार को चिकित्सक द्वारा दाहिने अंगूठे पर सूजन जिसे चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का जख्म एवं जख्मी नागेन्द्र राय के जख्म को चिकित्सक द्वारा चेहरे के बाईं ओर सूजन जिसे चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का जख्म पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार सह अभियुक्त नरेश राय पर लोहे के रड से सूचिका के सर पर मारकर फाड़ देने का आरोप है। अरूण राय (आवेदक) पर लाठी से मारकर सूचिका के बाएं हाथ के केहुनी के पास फोड़ देने का आरोप है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का पाया गया है और उक्त जख्म उसके शरीर के किसी संवेनशील अंग पर नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्तगण संजीत राय उर्फ संजय राय, रंजू देवी, मुल्की देवी उर्फ मुन्की देवी, कौशल्या देवी एवं जितन राय को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0–419/2026 में पारित आदेश दिनांक–11.03.2026 से अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जमानत आवेदन की कंडिका 08 से विदित होता है कि यह गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–15/2026 का पलटा मुकदमा है। आवेदक दिनांक–11.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को मो0 10,000/– की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–401 / 2026

अरूण राय बनाम् बिहार सरकार

आदेश पर नियत की तिथि	07.04.2026
आदेश की तिथि	07.04.2026
अपलोड करने की तिथि	09.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy not Official